प्रपत्र –5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती छायासिंह (आई.ए.एस.) अंतिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 पन्नाराम 2 किशनाराम 3 दशरथ कुमार पिसरान देवाराम जाति कुम्हार निवासी सुमारगर नगर, विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर		1 लांगाराम 2 रूखाराम पिसरान जेठाराम 3 जीणाराम 4 हरंचदराम 5 खेताराम पिसरान जवारारामजातियान प्रजापत 6 खेताराम पुत्र पूनमाराम 7 गुलाराम 8 केशराराम पिसरान सोनाराम 9 पुराराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी सुमारगर नगर, विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर 10 धुड़ी पत्नी रामाराम जाति सुनार 11 नारायणी देवी पत्नी तेजाराम जाति सुनार निवासी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण 12 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 183 एवं 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 16/2023
निर्णय दिनांक :– **18.08.2025**

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या ....–...... की उपरिथिति में इस वाद में आज तारीख **18.08.2025** को श्रीमती छायासिंह, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:–

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डाबलीसरा पटवार हल्का चवा के मूल खसरा संख्या 56 का रकबा 177.16 बीघा व खसर संख्या 641/56 का रकबा 13.09 बीघा तथा खसरा संख्या 56/1429 रकबा 0.16 बीघा भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन कर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा सुमारगर नगर पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 11 रकबा 20.4123 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 09 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को राजस्व आवेदन संख्या 93/2000 अनवान पेमाराम वगैरा बनाम जेठाराम वगैरा में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसीलदार बाडमेर के निर्देशानुसार आर आई व हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.05.2003 को मौका निरीक्षण एवं मौका में वादीगण की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जा को प्रतिवादीगण, वादीगण को कब्जा सुपूर्द करें। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। तहसीलदार बाडमेर उक्त अवैध कब्जे को प्रतिवादीगण से आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद की सहायता से वादीगण को कब्जा दिलवाया जाना सुनिश्चित कर निर्णय की पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

यह आज तारीख **18.08.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(छायासिंह)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhaya Singh
Date: 2025.09.18 13:16:09 IST
Reason: Self Attested

वाद व्यय

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल		जोड	
जोड़			